

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/ 2014 बी पार्ट

जयपुर, दिनांक : 29.8.17

:: आदेश ::

इस विभाग द्वारा राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित किया गया था। विभिन्न स्तरों से प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण के पश्चात निम्नलिखित समन्वित किए गए विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर स्वतंत्र रूप से संचालन की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-


क्र. स.	जिला	समन्वित किया गया विद्यालय	विद्यालय जिसमें समन्वित किया गया	समन्वयन के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक	समन्वयन से पृथक किए जाने वाला कॉलम संख्या 3 पर अंकित विद्यालय
1	2	3	4	6	7
1	नागौर	राउप्रावि न0-7 मकराना	रामावि न.01 मकराना	13.06.2016	राउप्रावि न0-7 मकराना
2	नागौर	राप्रावि गोमथलिया की ढाणी डीडवाना	राउमावि डाकिपुरा, डीडवाना	14.08.2014	राप्रावि गोमथलिया की ढाणी डीडवाना
3	श्रीगंगानगर	रामावि 13 जी छोटी सादुलशहर	रामावि 11 जी छोटी सादुलशहर	26.04.2017	रामावि 13 जी छोटी सादुलशहर
4	जालौर	राबाप्रावि मेघवालों का बास	राबामावि गुढाबालोतान	14.08.2014	राबाप्रावि मेघवालों का बास
5	सीकर	राप्रावि ढाणी खाचरियान (लाडपुर)	रामावि लाडपुर	14.08.2014	राप्रावि ढाणी खाचरियान
6	सीकर	राप्रावि पेडा (गुवार)	रामावि गुवार (आगरी) नीमकाथाना	14.08.2014	राप्रावि पेडा गुवार (गणेश्वर)
7	सीकर	राप्रावि ठाकुरसिंह वाली (ढाल्यावास)	राउमावि ढाल्यावास (खण्डेला)	14.08.2014	राप्रावि ठाकुरसिंह वाली
8	धौलपुर	राप्रावि हिनौता	राउमावि हिनौता चौकी	14.08.2014	राप्रावि हिनौता
9	जालौर	राबाउप्रावि पादरली	राउमावि पादरली	14.08.2014	राबाउप्रावि पादरली
10	राजसमन्द	राप्रावि माताजी का खेडा	राउमावि जूणदा	23.09.2016	राप्रावि माताजी का खेडा
11	नागौर	राप्रावि कुवाडो की ढाणी डोबडी कला	रामावि डोबडी कला	14.08.2014	राप्रावि कुवाडो की ढाणी
12	बारा	राप्रावि आसन किती	राउमावि सोरसन	26.04.2017	राप्रावि आसन किती
13	सीकर	रापावि श्यादान आंका की तलाई हरिपुरा	राउमावि लोसल	14.08.2014	राप्रावि आंका की तलाई
14	जोधपुर	राप्रावि हेमसिंह का कटला	रामावि पावटा	22.06.2016	राउप्रावि हेमसिंह का कटला
15	अलवर	राबाउप्रावि दहमी	राउमावि दहमी	13.06.2016	राबाउप्रावि दहमी

16	अलवर	राबाउप्रावि आडी गली चतरपुरा	राउमावि चतरपुरा	21.06.2016	राबाउप्रावि आडी गली
17	जैसलमेर	राप्रावि मंगलसिंह की ढाणी	रामावि लखा	14.08.2014	राप्रावि मंगलसिंह की ढाणी
18	बीकानेर	राप्रावि कन्यादावा	राउमावि दावा	14.08.2014	राप्रावि दावा
19	चूरु	राजकीय नवीन पाठशाला सांत्यु	राउमावि सांत्यु	13.06.2016	राजकीय नवीन पाठशाला सांत्यु
20	सीकर	राप्रावि गोवारियावास	रामावि नाहरसिंह की ढाणी	14.08.2014	राप्रावि गुवारिया

नोट : क्रम संख्या 10 पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय माताजी का खेडा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूणदा से पृथक कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय जूणदा खेडी में समन्वित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,


29/08/2017

(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक किए गए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था संचालन हेतु पूर्ववत संचालन की व्यवस्था करावें
7. संभागीय आयुक्त,
8. जिला कलक्टर,
9. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (गुप-2,5,6) विभाग।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
12. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन।
13. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/ 2014 बी पार्ट

जयपुर, दिनांक : 29.8.17

:: आदेश ::

इस विभाग द्वारा राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित किया गया था। समन्वयन के आदेश की बिन्दु संख्या 4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।"


समन्वयन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश के बिन्दु संख्या 4 (उपरोक्तानुसार) निम्नलिखित समन्वित किए गए विद्यालयों को प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित किए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	जिला	समन्वित किया गया विद्यालय	विद्यालय जिसमें समन्वित किया गया	समन्वयन के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक	कॉलम संख्या 3 का विद्यालय जिसे कॉलम संख्या 4 के विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दिया गया है
1	2	3	4	5	6
1	सीकर	राबाउप्रावि सिरौही, नीमकाथाना	राउमावि सिरौही	22.06.2016	राबाउप्रावि सिरौही
2	जोधपुर	राउप्रावि केतुकला	राउमावि केतुकला	13.06.2016	राउप्रावि केतुकला
3	चुरु	राबाउप्रावि नायक बस्ती, परसनेउ	रामावि परसनेउ	21.06.2016	राबाउप्रावि नायक बस्ती
4	चुरु	राबाउप्रावि जान्दवा	राउमावि जान्दवा	21.06.2016	राबाउप्रावि जान्दवा
5	जैसलमेर	राबाउप्रावि खीयां	राउमावि खीयां	21.06.2016	राबाउप्रावि खीयां
6	अजमेर	राउप्रावि मसूदा	राउमावि मसूदा	13.06.2016	राउप्रावि मसूदा
7	भरतपुर	राबाउप्रावि सलैमपुर खुर्द	राउमावि सलैमपुर खुर्द	22.06.2016	राबाउप्रावि सलैमपुर खुर्द
8	जयपुर	राउप्रावि गोरधनपुरा, फुलेरा	राउमावि फुलेरा, जयपुर	21.06.2016	राउप्रावि ढाणी गोवर्धनपुरा
9	जयपुर	राबाउप्रावि भाबरू	राउमावि भाबरू विराटनगर	21.06.2016	राबाउप्रावि भाबरू
10	जयपुर	राउप्रावि मथुरादासपुरा	राउमावि लांगडियावास	22.06.2016	राउप्रावि मथुरादासपुरा
11	बाडमेर	1. राउप्रावि सं. 01 बाडमेर 2 राउप्रावि पुराना बाडमेर	1 राउमावि स्टेशन रोड बाडमेर 2 राउमावि गांधी चौक बाडमेर	21.06.2016	1. राउप्रावि सं. 01 बाडमेर 2 राउप्रावि गांधी चौक बाडमेर

12	श्रीगंगानगर	राउप्रावि वार्ड नं. 18 श्रीकरणपुर	राउमावि वार्ड नं. 17 श्रीकरणपुर	13.06.2016	राउप्रावि वार्ड नं. 18 श्रीकरणपुर
13	राजसमन्द	राउप्रावि भीम	राउमावि भीम	13.06.2016	राउप्रावि भीम
14	श्रीगंगानगर	राबाउप्रावि अमर कॉलोनी, नई मण्डी, घडसाना	राबामावि घडसाना	13.06.2016	राबाउप्रावि अमर कॉलोनी, घडसाना
15	श्रीगंगानगर	राउप्रावि नम्बर 2 सार्दुलशहर	राउमावि सार्दुलशहर	13.06.2016	राउप्रावि नम्बर 2 सार्दुलशहर
16	Sirohi	राप्रावि मेघवालवास भारजा (सिरोही)	राउमावि भारजा	14.08.2014	राप्रावि मेघवालवास
17	Alwar	राउप्रावि नयाकुआ का बास भण्डोडी	राउमावि भण्डोडी	26.04.2017	राउप्रावि नयाकुआ का बास भण्डोडी
18	सिरोही	राप्रावि माण्डवा	रामावि माण्डवा	13.06.2016	राप्रावि माण्डवा
19	जोधपुर	सेठ बालूराम डागा राउप्रावि मथानिया	राउमावि मथानिया	14.08.2014	राउप्रावि मथानिया

इन विद्यालयों के सम्बन्ध में यदि पूर्व में ही प्रशासनिक नियंत्रण के आदेश जारी किए गए हैं, तो पूर्व की भांति ही यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,


29/08/2017

(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक किए गए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था संचालन हेतु पूर्ववत संचालन की व्यवस्था करावें
7. संभागीय आयुक्त,
8. जिला कलक्टर,
9. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
12. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन।
13. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/ 2014 बी पार्ट

जयपुर, दिनांक : 29.8.17

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस-पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :-

- i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
- ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015-16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
- iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय जो राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10/12) के अत्यन्त निकट है उन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिसके कारण आर.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता भी संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम के निकटतम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित किये गये। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा समन्वयन के प्रस्तावों की जाँच एवं परीक्षण उपरान्त इस विभाग को भिजवाये गये हैं।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए कॉलम संख्या 4 में वर्णित विद्यालयों को कॉलम 5 में वर्णित विद्यालयों में समन्वित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. स.	जिला	ब्लाक	स्कूल जिसे मर्ज किया जाना है	स्कूल जिसमें मर्ज किया गया है
1	2	3	4	5
1	कोटा	सांगोद	राप्रावि काकरिया सांगोद	राउमावि बास्याहेडी सांगोद
2	झुन्झुनू	अलसीसर	राबाउप्रावि हमीरीखुर्द	राउमावि हमीरी कलां
3	डूंगरपुर	सागवाडा	राबामावि गरियाता, सागवाडा	राआउमावि गरियाता
4	जैसलमेर	जैसलमेर	राप्रावि खीया राडकी	राउमावि खीया
5	श्रीगंगानगर	सूरतगढ	राउमावि रघुनाथपुरा सूरतगढ	राबाउमावि रघुनाथपुरा सूरतगढ
6	बून्दी	के. पाटन	राउप्रावि छत्रपुरा	राउमावि इन्द्रगढ
7	चित्तौड़गढ	बेगू	राप्रावि पुडोली	राउमावि पुणेली गंगरार
8	हनुमानगढ	पीलीबंगा	राबाउप्रावि पीलीबंगा	राआमावि पीलीबंगा

उपरोक्तानुसार समन्वित (एकीकृत) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-


- समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियाँ, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।

- iv. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।
- v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाएं संचालित होगी।
- vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्षा की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
- vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 22(6)शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सृजन के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक समन्वित (एकीकृत) विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।
- x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-1/आदर्श बी/21312/वो-112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

- xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,



(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त,
12. जिला कलक्टर,
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6)
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)
16. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन
17. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी-शिक्षा